

प्र.का. 7 भीकाएजी कामा प्लेस,
नयी दिल्ली-110607
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi - 110 607

असाधारण आम बैठक
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक : सोमवार, 16 दिसम्बर 2013
समय : पूर्वाह्न 11.00 बजे
DATE : MONDAY, 16TH DECEMBER, 2013
TIME: 11.00 A.M.

स्थान:

पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम,
केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

Venue:

Punjab National Bank Auditorium
Central Staff College
8, Underhill Road, Civil Lines
Delhi-110054

विषय वस्तु
CONTENTS

पृष्ठ सं०
PAGE NO.

सूचना NOTICE	1/4
व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT	3/6
प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	7/8
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	11/12

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT CALENDER OF EVENTS

असाधारण आम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों की कट ऑफ तिथि Cut off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the EGM	शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2013 Friday, 22 nd November, 2013
प्रॉक्सी फॉर्मों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013 Wednesday, 11 th December, 2013
असाधारण आम बैठक की तिथि Date of E.G.M	सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013 Monday, 16 th December, 2013

प्र.का. 7 भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110607
(ई-मेल : hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँटक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में सम्पन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

“संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में ‘योजना’ कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँटकों) विनियमन, 2000 जिसे इसके बाद ‘विनियमन’ कहा जायेगा, के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में ‘अधिनियम’ कहा जायेगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक, (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्ही शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में ‘निदेशक मंडल’ कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 76 (1) के अनुसरण में मंडल द्वारा निर्धारित किये जाने वाले प्रीमियम पर रु.10/-के अंकित मूल्य के 8649770 तक इक्विटी शेयर अधिमान आधार पर रुपये 578.05 प्रति इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करें।

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 15.11.2013 है।’

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें।’

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किये जाने वाले एवं आबंटित किये जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जायेंगे एवं ‘सेबी आईसीडीआर विनियमन’ के अध्याय VII के अंतर्गत अवरुद्धता अवधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश सहित यदि घोषित हो, सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे।’

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से सम्बन्धित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके सम्बन्ध में अपना अनुमोदन दे दिया है।’

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।’

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नेशनल बैंक

-सही-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18-11-2013

(के आर कामत)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. उपर्युक्त बैठक के अलग-अलग नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि होंगे जिन्हें बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
2. वैध उपस्थिति पर्ची व प्रवेश-पत्र तथा सही पहचान के साथ ही बैठक में प्रवेश दिया जायेगा।
3. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।
4. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस निर्णय की सत्यप्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को न मिल जाये।
5. प्रॉक्सी फार्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय 5, संसद नई दिल्ली-110001 में बैठक की तिथि से 4 दिन पहले तक अर्थात् बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013 को सांय 5.00 बजे तक अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाये।
6. ऐसे शेयरधारक जिनका नाम नियत कटऑफ तिथि 22.11.2013 (शुक्रवार) को बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में है, केवल वही बैठक में भाग लेने और वोट देने के अधिकारी होंगे।
7. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास
शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि यथा स्थिति लिखें।
8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसा प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है।
9. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे।
10. वोटिंग अधिकार
 - अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्स्थानी न्यू बैंक (Corresponding New Bank) का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है।
 - विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा।
 - उपर्युक्त के अध्यक्षीन, विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22.11.2013 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ उठा कर केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा और मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।

व्याख्यात्मक कथन

1. अधिमान आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याधीन यथापेक्षित प्रकटन अ) अधिमान निर्गमों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने की पहल में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में इसकी धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की धारिता 57.87% है और भारत सरकार ने सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 76(1) के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रीमियम पर रु. 10/-अंकित मूल्य के 8649770 इक्विटी शेयरों के अधिमान आधार पर रुपये 578.05 प्रति इक्विटी शेयर का निर्गम द्वारा निवेश करने का निर्णय लिया है।
- ब) यह संपूर्ण अधिमान निर्गम भारत सरकार-बैंक के प्रवर्तक द्वारा सम्बक्राइब किया जायेगा। निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76(1) के अनुसार होगा। निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 15.11.2013 है।
- स) शेयरों के जारी करने से पूर्व और पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्र. सं.	वर्ग	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात्	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
अ	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	20,45,71,589	57.87%	**	**
ब	गैर-प्रवर्तक धारिता	14,89,01,807	42.13%	**	**
	कुल	35,34,73,396		..	100

** भारत सरकार ने सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 76(1) के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रीमियम पर रु. 10/-अंकित मूल्य के 8649770 इक्विटी शेयरों के अधिमान आधार पर रुपये 578.05 प्रति इक्विटी शेयर का निर्गम द्वारा निवेश करने का निर्णय लिया है।

- घ) बैंक का सेबी आईसीडीआर विनियमनों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास है।
- ड) चूंकि सम्पूर्ण निर्गम भारत सरकार, प्रमुख शेयरधारक और बैंक के प्रवर्तक को अधिमान आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।
- च) भारत सरकार की पूर्व और पश्चात् निर्गम शेयरधारिता निम्नवत् होगी :-

	शेयरों की संख्या	पूंजी का अनुपात
निर्गम पूर्व	20,45,71,589	57.87%
निर्गम-पश्चात्	**उपर्युक्त 'स' में दिए गये टिप्पण के अनुसार	**उपर्युक्त 'स' में दिए गये टिप्पण के अनुसार

- छ) बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीयन छः माह से अधिक समय पहले हो चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों, 2009 के विनियम 76(3) और 78(5) तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 73(1) (एफ) और (जी) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- ज) जारी किये जाने वाले और भारत सरकार को आबंटित किये जाने वाले सभी इक्विटी शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध होंगे।
- झ) सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार जारी किया जा रहा है, निर्गम बैठक में पटल पर रखा जायेगा।
- ञ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डीमेट रूप में हैं और स्टॉफ एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में भी विनिर्दिष्टानुसार इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन करता है।
- ट) भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयर जारी किये जायेंगे किन्तु उपबन्ध यह है कि सम्बद्ध समय में सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 व संशोधन, यदि कोई है, लागू होगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

-सही-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18-11-2013

(के आर कामत)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(e-mail - hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Monday, the 16th December 2013, at 11.00 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the following business:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the '**Act**') read with The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the '**Scheme**') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the '**Regulations**') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**SEBI ICDR Regulations**) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "**Board**" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot upto 8649770 Equity Shares of face value of Rs.10/- each to GOI on preferential basis at a price of Rs. 578.05 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations.**

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 15.11.2013"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" and shall rank pari passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

-Sd-

(K. R. Kamath)
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi

Date: 18-11-2013

NOTES:

1. Individual notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of Proxy Form and Attendance Slip cum Entry Pass etc., are being mailed to shareholders of the Bank. The same are also available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in (Investor Info page).
2. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip cum Entry Pass with proper identification.
3. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.
4. No person shall be entitled to attend or vote at the Extra-ordinary General Meeting as a duly authorized representative of a body corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank.
5. The Proxy Form/ Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by the **Bank by the Company Secretary, Share Department, Finance Division, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. on Wednesday the 11th December, 2013.**
6. Shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Bank on 22.11.2013 (Friday) being the Cut-off Date fixed, shall only be entitled to attend and vote at the meeting.
7. **ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS**
For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.
10. **VOTING RIGHTS**
 - o In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
 - o As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.
 - o Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date i.e. 22.11.2013 shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Issue of Equity Shares on preferential basis to Gol

Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations,

a) Objects of the Preferential Issue

The Government of India has decided to infuse capital funds in Public Sector Banks (PSBs). At present in our Bank, the holding of Gol is 57.87% & Gol has decided to invest upto 8649770 equity shares of face value of Rs10/-each on preferential basis at a price of Rs 578.05 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations.

The allotment of equity shares will be completed by 31.12.2013

- b) The entire preferential issue will be subscribed by the Gol - the promoter of the Bank. The issue price has been determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The relevant date for ascertaining the issue price is 15.11.2013.
- c) Shareholding pattern before and after the issue:

Sl.No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (Gol)	20,45,71,589	57.87%	**	**
B	Non Promoter Holding	14,89,01,807	42.13%	**	**
	Total	35,34,73,396	..		100.00

**Gol will invest upto 8649770 equity shares of face value of Rs10/-each on preferential basis at a price of Rs 578.05 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulation. The allotment of equity shares will be completed by 31.12.2013

- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e) As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.
- f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	20,45,71,589	57.87%
Post - issue	** as per remarks given at c) above	** as per remarks given at c) above

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.
- h) All the equity shares to be issued and allotted to the Gol shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.
- i) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.
- j) All the equity shares held by the Gol are in dematerialized mode and the Bank has complied with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- k) The issuance of equity shares in favour of Gol shall be subject to SEBI ICDR Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.

By order of the Board of Directors
for PUNJAB NATIONAL BANK

Place: NEW DELHI
Date: 18-11-2013

- Sd-

(K.R. KAMATH)
Chairman & Managing Director

प्रधान कार्यालय, 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110607

फार्म- "बी"

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. (मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (अमूर्त शेयरों के लिए)	
शेयरों की सं.	

मैं/हम _____ राज्य _____ के जिला _____ का/की/के निवासी
_____ पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा
_____ राज्य के _____ जिला _____ के निवासी
श्री/श्री _____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर _____ राज्य
के जिला _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को सोमवार दिनांक
16 दिसम्बर, 2013 को प्रातः 11.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक
में जो पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाईंस,
दिल्ली-110054 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के
लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

रसीदी
टिकट

.....माह के.....दिन, 2013 को हस्ताक्षरित ।

प्रथम धारक /एकल
शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर.....

Head Office: 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi - 110 607

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, _____ resident/s of _____
in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/s of
Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of
_____ in the district of _____ in
the state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____
resident of _____ in the district of _____
in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at
the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **Monday,**
the 16th December 2013, at 11.00 a.m., at Punjab National Bank Auditorium, Central
Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi - 110054 and at any adjournment
thereof.

Revenue
Stamp

Signed this _____ day of _____ 2013.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____

प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी दस्तावेज तभी वैध होगा, जब
 - क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम पर शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या उसके अटार्नी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा अथवा इसके लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
 - घ) विधिवत् स्टाम्पित फार्म 'बी' में होगा
2. प्रॉक्सी दस्तावेज जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आशवासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नेशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।
3. प्रॉक्सी जिसके साथ में
 - क. पॉवर ऑफ अटार्नी या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - ख. उक्त पॉवर ऑफ अटार्नी या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटेरी या मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम 4 दिन पहले बुधवार, 11 दिसम्बर 2013 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे से पहले शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, पंजाब नेशनल बैंक, प्र.का. 5. संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में जमा करवा दिया जाए।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नेशनल बैंक में या इसके शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामे में पंजीकृत संख्या और पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा।
6. यदि प्रॉक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक प्रॉक्सी को निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में प्राक्सी, प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।
9. कोई व्यक्ति पंजाब नेशनल बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorized in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorized in writing,
 - c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Finance Division, Punjab National Bank, Head Office : 5, Sansad Marg, New Delhi – 110 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of Wednesday, the 11th December, 2013.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110607

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र

असाधारण आम बैठक

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013 समय प्रातः 11.00 बजे
पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड सिविल लाइंस, दिल्ली - 110054

उपस्थिति पर्ची

(उपस्थिति पंजीकरण के समय लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी /ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110607

असाधारण आम बैठक

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013 समय प्रातः 11.00 बजे

प्रवेश पत्र

(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी /ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को बैठक हॉल में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा। किसी भी स्थिति में कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
 ...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
 MONDAY, THE 16TH DECEMBER, 2013 AT 11.00 A.M.
 AT PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE,
 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-110 054

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
 ...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
 MONDAY, THE 16th December 2013 AT 11.00 A.M.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

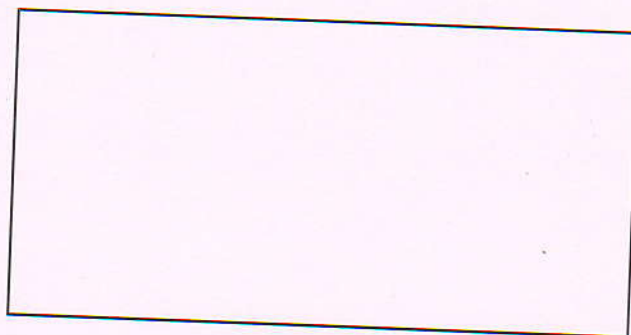
NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to produce Attendance slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.

पंजाब नैशनल बैंक  **punjab national bank**
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - 110 607
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi - 110 607

बुक-पोस्ट
BOOK POST



वितरित न होने पर कृपया वापिस करें :
If undelivered, please return to:

बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसिज (प्रा.) लिमिटेड
Beetal Financial and Computer Services (P) Ltd.
बीटल हाऊस, तृतीय तल
Beetal House, 3rd Floor
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
99, Madangir Behind Local Shopping Centre
नई दिल्ली-110062
New Delhi - 110062